

Food Safety Training and Certification(FoSTaC) camp in Gurugram.

||April 30, 2023, Gurugram |Haryana

IIEST Federation, an authorized partner of FSSAI for providing training under FSSAI 2006 16 (3) h Act, FoSTaC are committed for capacity building in Food Safety via providing Food Safety Supervisor trainings in Pan-India under FSSAI guidelines.

With the objective of creating safe food culture in country FSSAI has flagged off Fostac trainings all over the country including in the state of Haryana, Dr. S.S.Ghonkrota, IAS (R) Former Director, FSSAI on *Issues of Fostac Trainings explained that* “ There is provision in law under the FSSAI 2006 Act that all food handlers or Food business operators are to be trained in food safety. Time has been granted to conduct the trainings of all food operators in the country for which the State food safety dept. and any other agencies appointed by the FSSAI have been given time to get it done. The idea is to ensure proper implementation of the act and all FBO’S are trained before FSSAI can start the enforcement and prosecutions in this regards.”

The same message was conveyed by the Senior Areas Officers Mr. Ajay Singh Ranawat , Jitender Singh and Arvind Rana. FSSAI Training Dept. to Health Safety and Regulation Haryana, quote “Training of the Food Handlers is envisaged to ensure compliance of the Schedule 4 requirements under FSS Regulations, 2011 and is a step forward towards ensuring that safe and hygienic food reaches to the end consumer.”

The food business operators were also made aware about the food licences and easy of applying it through <https://foodlicensing.fssai.gov.in>. For helping the FBO, Fssai have also started enrolling Food Safety Mitra on pan-India basis.



गुरुग्राम में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (FoSTaC) शिविर।

॥30 अप्रैल, 2023, गुरुग्राम |हरियाणा

IEST फेडरेशन, FSSAI 2006 16 (3) h अधिनियम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए FSSAI का एक अधिकृत भागीदार, FoSTaC, FSSAI दिशानिर्देशों के तहत पैन-इंडिया में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण प्रदान करके खाद्य सुरक्षा में क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

देश में सुरक्षित खाद्य संस्कृति बनाने के उद्देश्य से एफएसएसएआई ने हरियाणा राज्य सहित पूरे देश में फोस्टैक प्रशिक्षणों को हरी झंडी दिखाई है, डॉ. एस.एस.घोंक्रोक्ता, आईएस (आर) पूर्व निदेशक, एफएसएसएआई ने फोस्टैक प्रशिक्षण के मुद्दों पर बताया कि "वहाँ है FSSAI 2006 अधिनियम के तहत कानून में प्रावधान है कि सभी खाद्य संचालकों या खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाना है। देश के सभी खाद्य संचालकों को प्रशिक्षण देने के लिए समय दिया गया है जिसके लिए राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग और FSSAI द्वारा नियुक्त अन्य एजेंसियों को इसे पूरा करने के लिए समय दिया गया है। यह विचार अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है और सभी FBO'S को FSSAI द्वारा इस संबंध में प्रवर्तन और अभियोग शुरू करने से पहले प्रशिक्षित किया जाता है।

यही संदेश वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी श्री अजय सिंह राणावत, जितेन्द्र सिंह और अरविंद राणा ने दिया। FSSAI प्रशिक्षण विभाग स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन हरियाणा के लिए, उद्धरण "खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण की परिकल्पना FSS विनियम, 2011 के तहत अनुसूची 4 आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि सुरक्षित और स्वच्छ भोजन अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे।।"

खाद्य व्यवसाय संचालकों को भी <https://foodlicensing.fssai.gov.in> के माध्यम से खाद्य लाइसेंस और इसे लागू करने में आसानी के बारे में जागरूक किया गया। FBO की मदद के लिए, Fssai ने अखिल भारतीय आधार पर खाद्य सुरक्षा मित्र का नामांकन भी शुरू कर दिया है।